न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवानः– राजेन्द्र सिंह बनाम बजरंगलाल आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955, मु.नं0 :– 66 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र
22.08.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज भार्गव द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। आवेदन पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थीगण हक हिस्से व कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने, बेदखल करने, रहन विक्रय आदि करने पर आमादा है सो अप्रार्थीगण के विरुद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। आवेदन पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 20.09.23 तक ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1056 रकबा 1.3500 है0 में वादी के हक हिस्से में स्थित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। यह अन्तरिम आदेश गैरमुमकीन रास्ता की भूमि पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियॉ रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें अन्यथा आगामी तारीख पेशी पर एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन स्वतः ही वैकेट हो जायेगा। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.09.23 तक ही उक्त आदेश प्रभावी रहे व तत्पश्चात् उक्त अन्तरिम आदेश हेतु पुनः विचार कर आगामी कार्यवाही हो। पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.09.23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

20/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड नोटिस रसीद सहित पेश किये व पत्रावली शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली वास्ते तामील आदेश दिनांक 3/11/2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

3-11-23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 21/12/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

21/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते तामील आदेश दिनांक 7/2/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

7/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 21/3/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

12/3/24 पत्रावली प्रार्थी राजेन्द्र सिंह के आवेदन पत्र बाबत निगरानी बजरिये प्रार्थना पत्र पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित/ आदेश पत्र पेश हुई। प्रार्थी की पहचान एडवोकेट द्वारा की गई। प्रार्थी ने अवगत कराया कि केस नोट ... आवेदन किया था अब नहीं चाहता। इसलिये इस आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० भू-राजस्व अधिनियम में आगे कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी के कथनों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० भू-राजस्व अधिनियम प्रार्थी नोट प्रेस के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

निर्णय आदेश दिनांक 12/3/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

नकल
12/3/24
पहचान की

1-80 ... पहचान की